केन्द्रीय विद्यालय संगठन
तिनसुकिया संभाग
ऑइल केम्पस, दुलियाजान
जिला: डिब्रूगढ़ - ७८६६०२(असम)
दूरभाष::0374-2800031, फैक्स:2800091
वेबसाइट: www.kvsrotinsukia.org
ई-मेल: newkvstinsukia@gmail.com

केन्द्रीय विद्यालय संगठन

KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN
TINSUKIA REGION
OIL CAMPUS DULIAJAN
Dist. DIBRUGARH - 786602 (ASSAM)
Tel::0374-2800031, Fax No.2800091
Website: www.kvsrotinsukia.org
E-mail: newkvstinsukia@gmail.com

F.42029/2016-17/KVS RO (TSK)/Admn./6308 - 359 Date: 25.11.2016

कार्यालय आदेश

भारत के माननीय सर्वोच न्यालय के दिशा-निर्देशानुशार एवं भारत सरकार द्वारा केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमवाली 1964 के नियम 3 ग के अंतर्गत लिए गए निर्णय संख्या 25 जो केंद्रीय विद्यालय संगठन के कर्मचारियों पर भी लागू होते हैं, तथा केंद्रीय विद्यालयों के लिए निर्धारित शिक्षा संहिता के अनुच्छेद 160 के निबंधन में निम्नलिखित सदस्यों की एक समिति इस कार्यालय में पुनर्गठित की जाती है जो तिनसुकिया संभाग के अंतर्गत आने वाले केंद्रीय विद्यालयों और क्षेत्रीय कार्यालय तिनसुकिया की उत्पीडन से पीड़ित महिला कर्मचारियों की शिकायतों का तत्परता से निवारण करेगी :-

1.	पीठासीन अधिकारी	श्रीमती बी. एक्का	प्राचार्या, के.वि. पासीघाट
2.	एन.जी.ओ. सदस्य -1	श्रीमती सायरा रहमान	एन.जी.ओ.
3.	एन.जी.ओ. सदस्य -2	श्रीमती मानसी दत्ता	जनरल सेक्रेटरी, तेजपुर जिला महिला समिति
4.	सदस्य	श्रीमती दीपा देवी नाथ	उप प्राचार्या / कार्यवाहक प्राचार्या, के. वि. दिनजान
5.	सदस्य	श्रीमती एस. लेम्तूर	प्रधान अध्यापिका, के.वि. दीमापुर
6.	सदस्य	श्री संजय कुलश्रेष्ठ	वित्त अधिकारी, के.वि.सं. तिनसुकिया संभाग
7.	सदस्य	श्रीमती बी. कौर	स्नातकोतर शिक्षिका (अर्थशास्त्र), के. वि. क्र. २ तेजपुर

उपर्युक्त समिति को शिक्षक/शिक्षिकाओं द्वारा केंद्रीय विद्यालयों के छात्र/छात्राओं के साथ किये गए अनैतिक आचरण से सम्बन्धित प्रकरणों को भी केंद्रीय विद्यालयों के लिए निर्धारित शिक्षा संहिता के अनुच्छेद-81(B) के अंतर्गत सारांश जाँच (Summery Enquiry) मामले भी कार्यवाही हेतु प्रेषित किये जा सकते हैं ।

क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा इस प्रकार की शिकायतों को समिति के संयोजक को उपलब्ध कराया जाएगा । संयोजक, जाँच कार्यवाही संपन्न करने हेतु उपरोक्त गठित समिति में किसी एक गैर-सरकारी संगठन सदस्य तथा एक प्राचार्य को सहयोजित (Co-opt) करेंगे । समिति शिकायत प्राप्त होने की तिथि से एक माह के भीतर अपनी रिपोर्ट सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगी ।

यह आदेश **DOPT** के दिशा-निर्देशों के अनुपालन में संशोधित रूप में जारी किया जाता है जिसमें यह निर्देशित है कि अंतरिम शिकायत निवारण समिति की संयोजक महिला अधिकारी ही होंगी ।

यह आदेश-पत्र इस मामले में पूर्व में जारी किये गए सभी आदेशों के अतिकर्मण में जारी किया गया है ।

मंजुनाथ 28/11/16
(डॉ. डी. मंजुनाथ)
उपायुक्त (प्रभारी)

वितरण:-

1. समिति के सभी सदस्य ।
2. सहायक उपायुक्त (सतर्कता) के०वि०स० (मुख्यालय), नई दिल्ली को सूचनार्थ ।
3. उपायुक्त, के०वि०स०, समस्त क्षेत्रीय कार्यालयों को सूचनार्थ ।
4. प्राचार्य, समस्त केंद्रीय विद्यालय, तिनसुकिया संभाग को इस दिशानिर्देश के साथ कि इस कार्यालय आदेश की विषयवस्तु को अपने विद्यालय में कार्यरत सभी कर्मचारियों/शिक्षकों की जानकारी में लायें । साथ ही अध्यक्ष, विद्यालय प्रबन्ध समिति को भी इसकी जानकारी दें ।
5. के०वि०स० (क्षे०का०) तिनसुकिया संभाग के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों के सूचनार्थ ।
6. निजी सहायक, उपायुक्त को क्षेत्रीय कार्यालय की वेवसाइट पर अपलोड करने हेतु ।
7. गार्ड फ़ाइल ।